न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013	11.10.2013	13.04.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री भागचन्द साहू पुत्र श्री रतनलाल साहू जाति तेली निवासी ग्राम पोस्ट कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स सांवरिया ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

2– मैसर्स सांवरिया ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

3–श्री दिनेश कुमार कुमावत पुत्र श्री कालू राम कुमावत निवासी 18, प्रेमनगर, खातीपुरा रोड,झोटवाडा, जयपुर राजस्थान प्रोपराइटर मैसर्स न्यू भारत आईस फैक्ट्री, गोरस भण्डार के पीछे कुकरखेडा महापुरा, रोड न. 1, वी.के.आई. एरिया जयपुर

4–मैसर्स न्यू भारत आईस फैक्ट्री, गोरस भण्डार के पीछे कुकरखेडा महापुरा, रोड न. 1, वी.के. आई. एरिया जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा –52

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0।

2–अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार कुमावत उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 13.04.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2013 को समय 04:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सांवरिया ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक, पर पहुंचा। वहॉ पर विक्रेता श्री भागचन्द साहू पुत्र श्री रतन लाल साहू खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया पूछने श्री भागचन्द साहू ने स्वयं को ... मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के कार्टूनों में 5 लीटर पैक के 20 डिब्बे / पैकेट आईस क्रीम मि...म फैट (मेरी गोल्ड) फ्रीजर में रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री भागचन्द साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर आवेदक से नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर श्री विनोद भागचन्द साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक कर आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) के चार लीटर के पैकेट के खोलकर हिला मिला कर पूर्णतया होमोजिनियस कर बाजार भाव के समान आईसक्रीम वास्ते नमूना जांच खरीदा।

आवेदक ने खरीदशुदा आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) को चार–चार बराबर भागों में विभाजित कर अलग–अलग चार कांच की शिशियों में भरकर प्रत्येक शीशी में फॉर्मेलिन 36–36 बून्दे डालकर डक्कन से अच्छी तरह एयर टाईट कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और प्रतयेक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–494 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–494 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/2088 दिनांक 10.06.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/230/एफएसएसए/2013/231 दिनांक 15.05.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने पर **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

विक्रेता ने मौके पर मैसर्स न्यू भारत आईस फैक्ट्री, गोरस भण्डार के पीछे कुकरखेडा महापुरा, रोड नं. 1, वी.के.आई. एरिया जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) खरीद करना बताया है जो इसके निर्माण एवं पैकिंग के लिये जिम्मेदार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:28 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 श्री दिनेश कुमार कुमावत उप.। श्री दिनेश कुमार ने बताया कि प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 श्री भागचन्द साहू पुत्र श्री रतन लाल साहू की मृत्यु हो गई है। तथा इस संबंध में श्री रतन लाल साहू का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी पेश की तथा श्री रतन लाल साहू के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी सं0 1 की मृत्यु होने पर उसके विरूद्ध प्रकरण इसी स्तर पर ड्राप किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई। अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया आईस क्रीम मिडियम फैट (मेरी गोल्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी श्री भागचन्द साहू की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। तथा अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार कुमावत पुत्र श्री कालू राम कुमावत निवासी 18, प्रेमनगर, खातीपुरा रोड,झोटवाडा, जयपुर राजस्थान प्रोपराइटर मैसर्स न्यू भारत आईस फैक्ट्री, गोरस भण्डार के पीछे कुकरखेडा महापुरा, रोड न. 1, वी.के.आई. एरिया जयपुर पर शास्ति 15000/रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04..2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:28 IST
Reason: SelfAttested

13-4-2022
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0